उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांक सं0– 29547/लेखा–2/आयकर/2018–19 दिनांक : 08.01.2019

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सह0ग्राम विकास बैक लि0
उत्तर प्रदेश ।

आवश्यक /महत्वपूर्ण

बिषय :– स्रोत पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान वेतन से आयकर की कटौती के सम्बंध में ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के आयकर के अर्न्तगत धारा 192 के अधीन आयकर की कटौती के सम्बंध में आयकर की दरें व अनुदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि इसी के अनुसार आप अपने कार्यालय के समस्त कर्मचारियों के वेतन से वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयकर ''कैलकुलेशन मेमो '' पर सूचना प्राप्त कर आयकर की कटौती करने के बाद काटी गई धनराशि को निर्धारित समय 31 मार्च 2019 के अंदर भारतीय स्टेट बैंक/राजकीय कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करें। आप अपना एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आयकर की कटौती करने के बाद देय आयकर समय से जमा कराना आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

आयकर ढॉचे में व्यापक परिवर्तन के फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतन में अन्य मदों को शामिल कर लिया गया है। भवन सम्पत्ति से आय, कारोबार से आय, पूँजी अभिलाभ, अन्य स्रोतों से आय एवं जोड़ी जाने वाली अन्य व्यक्तियों की आय को भी सम्मिलित करके आयकर की गणना की जानी है। 'कैलकुलेशन मेमो' के साथ वेतन के अतिरिक्त सुविधाओं, अनुलाभों व लाभों का विवरण (Perquisites) को शामिल करते हुए कर्मचारियों की सकल कुल आय पर आयकर निकाला जाना है इसलिए उपयुर्क्त पॉचों मदों की आय को सम्मिलित करके सकल कुल आय पर आयकर की गणना की जायेगी।

आयकर कटौती के सम्बन्ध में जहॉ कहीं विचारों की भिन्नता हो वहॉ आयकर उपबंधों का और जिस संगत वित्तीय अधिनियम के जरिये कर ढॉचें में परिवर्तन किये गये हैं उनका समाधान अपने जिले के आयकर कार्यालय से प्राप्त कर लें।

स्थानान्तरित कर्मचारियों की सूचना आयकर के सम्बंध में 1–4–2018 से तातारीख तक की आहरित वेतन की सूचना उनके गंतव्य स्थान तक को विलम्बतम 15.01.2019 तक आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से अवश्य भेज दी जाय।

मण्डलीय शाखा पर कार्यरत सभी शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक अपना कैलकुलेशन मेमों निर्धारित प्रारूप पर माह जनवरी 18 के वेतन बिल के साथ (संलग्नकों सहित) प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

गत वित्तीय वर्ष 2017–18 का फार्म 24क्यू/26क्यू जो आयकर कार्यालय में प्रत्येक शाखा कार्यालय द्वारा जमा कराये गये हैं उनकी एक प्रति मुख्यालय भेज दी जाय, जिन शाखा कार्यालय के अभी तक टैन आवंटित नहीं कराये गये हैं उनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक अपना स्पष्टीकरण समुचित कारणों सहित अधोहस्ताक्षरी के पास प्रधान कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। यदि किसी शाखा कार्यालय से कोई आयकर कटौती की धनराशि जमा नहीं कराई गई है तो उस सम्बन्ध में भी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की जाय क्योंकि सन् 1972 से वेतन स्वीकृत करने का अधिकार शाखा प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक को दिया जा चुका है। उक्त अंश के अनुपालन में सूचना अनिवार्य रूप से दि0 31.01.2019 तक अवश्य प्रेषित कर दी जाय।

शाखा से कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण की स्थिति में शाखा का **TAN** सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय। समस्त शाखाएँ अपना E-TDS RETURN (26Q/ 24Q) वित्तीय वर्ष 2018–19 समय से जमा कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा शाखा स्तर पर आहरण/वितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

संलग्नक : कैलकुलेशन मेमो व अनुदेश ।

ह0–
(महेश कुमार)
सहा0महाप्रबन्धक (लेखा–2)
आहरण वितरण अधिकारी

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पृष्ठांकित।

1. समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक/अनु0अधिकारी, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
2. समस्त अधिकारीगण , प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. प्राचार्य (प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक महोदय को उनके निजी सचिव के माध्यम से अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. उप महाप्रबंधक (कम्प्यूटर), उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैक लि0, प्र0का0, लखनऊ को बैंक की मेल आईडी पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।

ह0–
सहा0महाप्रबन्धक (लेखा–2)
आहरण वितरण अधिकारी

::- वित्तीय वर्ष 2018–19 कर निर्धारण वर्ष 2019-20 हेतु अनुदेश (Instructions) -::

1. प्राप्त किये गये मकान किराये भत्ते के अधीन छूट धारा 10(13ए) हेतुः-
   (क) वास्तविक प्राप्त की मकान किराये भत्ते की धनराशि।
   (ख) संगत अवधि हेतु किराये की अदायगी में उपगत व्यय की धनराशि जो देय वेतन (मूलवेतन तथा मँहगाई भत्ता) दसवें भाग से अधिक है।
   (ग) संगत वर्ष के वेतन का 40 प्रतिशत(वेतन का तात्पर्य मूल वेतन व मँहगाई भत्ते से है)
   उपर्युक्त क, ख, ग में से जो धनराशि न्यूनतम हो वह छूट अनुमन्य है। कर्मचारी को केवल किराये पर रहने की दशा में छूट अनुमन्य है अन्यथा नहीं।
2. भवन ऋण की ब्याज की छूट दिनांक 31.3.99 तक के ऋणों पर अधिकतम रू0 30,000/- तथा दिनांक 01.4.99 या बाद के ऋणों पर रू0 1,50,000/- तक भवन सम्पत्ति से हानि शीर्षक के अर्न्तगत पूर्ववत रहेगी। वित्तीय वर्ष 2015-16 से भवन ऋण व्याज की छूट रू0-2,00,000/- अनुमन्य है। प्लाट क्रय हेतु लिए गये ऋण पर कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राष्टीय वचत पत्रों पर उपार्जित ब्याज प्रति हजार का विवरण निम्नवत है-

वर्ष 2013-14	NIL	(01.04.2013 से 31.03.2014 तक के क्रय)
वर्ष 2014-15	121.10	(01.04.2014 से 31.03.2015 तक के क्रय)
वर्ष 2015-16	111.40	(01.04.2015 से 31.03.2016 तक के क्रय)
वर्ष 2016-17	94.60	(01.04.2016 से 30.09.2016 तक के क्रय)
	93.30	(01.10.2016 से 31.03.2017 तक के क्रय)
वर्ष 2017-18	85.20	(01.04.2017 से 30.06.2017 तक के क्रय)
	84.10	(01.07.2017 से 31.12.2017 तक के क्रय)
	78.00	(01.01.2018 से 31.03.2018 तक के क्रय)
वर्ष 2018-19	NIL	(01.04.2018 से 30.09.2019 तक के क्रय)

4. अन्य स्रोतों से आय मद में उपर्युक्त अंकित दर से ब्याज की गणना की जायेगी। मासिक जमा, सावधि जमा योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के अधीन राष्ट्रीय बचत योजना(एन0एस0एस0) धारा 80 सीसीबी, म्यूचअल फण्ड से निकाली गई धनराशि को भी जोडा जायेगा तथा एन0एस0सी0 पर आगणित उपार्जित ब्याज वर्ष 2013-14 से 2017-18 को धारा 80 सी के अन्तर्गत पुनर्वियोजित माना जायेगा।
5. धारा 80 सी0सी0सी0, 80 सी0सी0बी0, 80 डी0, 80 डी0डी0, 80 डी0डी0बी0, 80 जी0, 80 जी0जी0, 80 क्यू0 क्यू0 बी0, 80 आर0आर0वी0, व 80 यू0, की कटौतियों के मापदण्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
6. **ए.**अध्याय 6ए के अधीन धारा 80डी मेडीक्लेम पॉलिसी या प्रीमियम भुगतान हेतु अधिकतम रू0 25,000/-स्वयं/परिवार/माता-पिता/ वरिष्ठ नागरिक हेतु अधिकतम रू0 25,000/- कटौती भी देय है। प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान कर योग्य आय में से किया गया हो तथा भुगतान नकद के बजाय चेक/ड्राफ्ट या अन्य तरीके से ही किया गया हो।

   बी. धारा 80डी.डी. में विकलांग आश्रित पर व्यय परिचर्या सहित या विकलांग के लिए जमा धनराशि या विकलांग आश्रित पर खर्च व जमा दोनों मिलाकर अधिकतम रू0 75,000/-(आश्रित का अर्थ उस व्यक्ति की पत्नी/पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, भाई/ बहन या उनमें से कोई एक से है विकलांगता से 40 प्रतिशत पीड़ित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 10 आई0 प्रमाणपत्र पर देय। जहॉ गम्भीर विकलांगता पीड़ित 80 प्रतिशत या एक से अधिक विकलांगता ग्रस्त हो तो रू0 1,25,000/- की कटौती अनुज्ञात है और आश्रित व्यक्ति द्वारा अपनी कुल आय में से धारा 80यू0 के अधीन दावा न किया गया हो तभी 80डी.डी. की कटौती देय होगी)। इसके अतिरिक्त एल0आई0सी0 या यू0टी0आई0 एवं विभाग (बैंक) के द्वारा यदि कोई धनराशि प्राप्त की गयी है तो वह घटाने के बाद शेष धनराशि की कटौती के लिये पात्र होगी। आश्रित विकलांग की कोई धनराशि यू0टी0आई या एल0आई0सी0 से आश्रित विकलांग की मृत्यु की दशा में कर निर्धारिती को प्राप्त होती है तो वह धनराशि उस वर्ष की कर योग्य आय होगी जिस वर्ष में कर निर्धारिती को प्राप्त हुई है और तद्नुसार कर निर्धारिती का आयकर निर्धारित किया जायेगा।

   सी.धारा 80डी.डी.बी. में स्वयं या पूर्णतः आश्रित के विशेष रोग (कैन्सर, एड्स आदि) के इलाज पर व्यय अधिकतम रू0 40,000/- (विशेषज्ञ से निर्दिष्ट प्रमाणपत्र 10 आई दाखिल करने पर देय) प्रतिबन्ध यह है कि उस रोग हेतु धनराशि की प्रतिपूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से न प्राप्त की गयी हो।

   डी. धारा 80यू. स्वयं विकलांगता से पीड़ित विकलांगता प्रमाण पत्र पर देय अधिकतम रू0 1.25 लाख की कटौती अनुज्ञात है।
7. अध्याय 6 ए के अधीन 80 ई0 में कटौती केवल ब्याज की देय होगी। मूलधन की भुगतान की गयी धनराशि पर कटौती देय न होगी। पूर्ण कालिक शिक्षा स्नातक या परास्नातक कोर्स, इन्जीनियरिंग, चिकित्सा या प्रबन्ध अथवा परास्नातक कोर्स, शोधित विज्ञान (Applied Sciences), अप्रयुक्त विज्ञान (Pure Sciences), सांख्यिकी या गणित सहित शिक्षा से है। वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की पुनर्अदायगी अधिकतम 8 वर्ष की कटौती केवल ब्याज की देय है। कटौती की धनराशि सीमा रहित है। वित्तीय वर्ष 07-08 से मूलधन व ब्याज दोनों की कटौती देय नहीं है। ऋण स्वयं कर दाता द्वारा लिया गया हो तथा स्वयं या पति/पत्नी तथा बच्चे के लिए लिया गया हो। बच्चो या पत्नी द्वारा लिये गये ऋण पर छूट देय नहीं है।

.....2 पर.....

8. सकल कुल कटौतियां धारा 80 सी0, धारा 80 सी0सी0सी0 व 80 सी0सी0डी0 किसी कर निर्धारिती के लिये किसी भी दशा में एक लाख पचास हजार रूपये से अधिक न होगी।
9. धारा 80सी0 से 80यू0 तक की कटौतियां (अध्याय 6ए से 80सी तक) सकल कुल आय से अधिक नहीं होंगी।
10. महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की आयकर की गणना व्यष्टि (Individual), हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family), व्यक्तियों की संस्था (Association Of Persons) व व्यक्तियों का निकाय (Body of Individuals) की तरह एक समान ही हैं।
11. अधिभार तथा अन्य शिक्षा उपकर भारतीय निवासियों व अनिवासियों दोनों कर निर्धारितियों को देय है।
12. कर योग्य अनुलाभों का मूल्यांकन आयकर के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित उपनियमों तथा कार्यकारी आदेशों के अनुसार किया जाता है। नये नियमों के अधीन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों को प्रदान किये गये अनुलाभों को शामिल किया जायेगा। कुल अनुलाभों के मूल्यों की गणना धारा 17(2) के अधीन दशार्यी जायेगी।

(i) वित्तीय संस्थाओं से ब्याज रहित/रियायती ऋण लेने का प्रचलन है। आहरित अनुलाभों के मूल्य को निकालने के लिए कर्मचारियों द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक के संगत वर्ष के प्रथम वर्ष (2018–19) के प्रथम दिन अर्थात 1-4-18 की निर्धारित भुगतानित ब्याज में से घटाया जायेगा। भवन एवं क्रय/निर्माण के मामलों में 5 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष तक के ऋणों में अनुलाभों की निर्धारित ब्याज 8.65/8.60 प्रतिशत है एवं दो पहिया वाहन के लिए ऋणों में अनुलाभ की निर्धारित ब्याज दर 9.25 प्रतिशत है और कार हेतु अनुलाभ की गणना 9.25% वार्षिक उच्च ब्याज दर लागू होगी। रूपये 20,000/- सकल सीमा तक छोटे ऋणों की इसमें छूट होगी अर्थात् अनुलाभ की गणना नहीं की जायेगी।

अनुलाभों की मूल्य की गणना साधारण ब्याज के अनुरूप मासिक अवशेष के अधिकतम देय के आधार पर की जायेगी। आगणन का कोई अन्य तरीका अनुचित माना जायेगा। जैसे भवन ऋण 6 प्रतिशत पर दिया गया है तो अनुलाभ 8.60% - 6% = 2.65% की दर से एवं महिलाओं हेतु भवन ऋण अनुलाभ की गणना 8.65%-6%= 2.65% की जायेगी।

(ii) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देने हेतु भुगतान की गयी मानदेय की धनराशि अनुलाभ मानी जायेगी और उस पर तद्नुसार कर प्रभारित किया जायेगा।

13. कुल आय को 10 रूपये में तथा कर की राशि को 1.00 रूपये के निकटतम् अंक तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् रू0 4.99 को छोड़ते हुए और 5 रू0 को अगले 10 रूपये में तथा 49 पैसे को छोड़ते हुए और 50 पैसे को 1 रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
14. ई0पी0एफ0 से ऋण लेकर चुकायी गयी बीमा प्रीमियम की धनराशि पर कोई आयकर कटौती/छूट देय न होगी।
15. पीपीएफ/ईपीएफ/स्वै0कर्म0भविष्य निधि अंशदान/जीपीएफ आदि मदों में की गई कटौती आयकर की धारा 80सी के अन्तर्गत अधिकतम(1,50,000.00 लाख तक) वित्तीय वर्ष 2015–16 से अनुमन्य है।
16. बचत खातों (Saving Bank Interest) से ब्याज 10,000/- तक धारा 80TTA में कटौती इस शर्त के साथ देय है कि बचत खाते के ब्याज की धनराशि आयकर संगणना फार्म कॉलम नं0-10 (अन्य श्रोतों से आय) में जोड़ा गया हो।
17. धारा 87 (a) में जिन कर्मचारियो/अधिकारियों की कर योग्य आय 3,50,000/-रूपये से कम है उनको रूपये 2500 तक की अधिकतम छूट अनुमन्य है और जहॉ पर कुल आयकर 2,500 से कम है छूट की धनराशि उक्त सीमा तक सीमित कर दी जायेगी।
18. NPS मद में धारा 80CCD(1B) के तहत अधिकतम 50,000 की धनराशि करमुक्त है।
19. नई पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान धारा 17 के अन्तर्गत कर योग्य अनुलाभों में जोड़ा जायेगा।
20. बैंक में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना-अपना आयकर संगणना फार्म निर्धारित समय में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दें, अन्यथा निर्धारित समय के बाद नियमानुसार आयकर की कटौती अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर ली जायेगी।
21. मानक कटौती रू0 40,000/-या वेतन जो दोनों में कम हो, की वित्तीय छूट वर्ष 2018-19 से अनुमन्य है।

ह0–
(महेश कुमार)
सहा0महाप्रबन्धक (लेखा–2)
आहरण वितरण अधिकारी

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आयकर आगणन ज्ञापक (Income Tax Calculation Memo)

वित्तीय वर्ष 2018-19 (कर निर्धारण वर्ष 2019-20)

(आयकर कलकुलेशन मेमो विलम्बतम दिनांक 15.**01.2019** तक अनिवार्य रूप से जमा किया जाए)

पैन			आई.डी.नं0	
पूरा नाम :			जन्मतिथि	सेवा निवृत्त/त्याग पत्र तिथि/योगदान/स्थानान्तरण अवधि से तक .....
गृह सम्पत्ति का पता :			स्थानीय पता	
1.	वेतन व भत्तों से आय			रू0 .....
2.	कुल अनुलाभों का मूल्य धारा 17(2) के अनुसार			रू0 ....
3.	वेतन के अतिरिक्त लाभों का कुल मूल्य धारा 17(3) के अनुसार			रू0 .....
4.	वाहन भत्ता			रू0 .....
5.	चिकित्सा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति			रू0 .....
6.	योग-(1+2+3+4+5)			रू0 .....
7.	(i)	घटायें-मानक कटौती (40,000/-या वेतन, दोनों में से जो कम हो)		रू0 .....
	(ii)	घटायें-मकान किराये भत्ते की छूट धारा 10(13ए)		रू0 .....
	(iii)	योग कॉलम (i)+(ii)		रू0 .....
8.	शेष कॉलम 6-7(iii)			रू0
9.	नोटः- मकान किराया भत्ता की छूट प्राप्त करने हेतु आयकर संगणना फार्म के साथ मकान मालिक से प्राप्त किराये की रसीद तथा मकान मालिक के पैन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।				
10.	(iv)	धारा 10(14) के अधीन छूट, यदि कोई है,		रू0 .....
	अ-	विकलांग भत्ता	रू0	
	ब-	वर्दी भत्ता/ड्राइवर का निश्चित यात्रा भत्ता	रू0	
	स-	विकलांग वाहन भत्ता	रू0	
	द-	पर्वतीय विकास/विशेष सीमान्त भत्ता	रू0	
11.	वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर प्रभार्य आय 8-10			रू0 .....
12.	कारोबार या वृत्ति से आय			रू0 .....
13.	पूँजी अभिलाभ			रू0 .....
14.	गृह सम्पत्ति से आय-हानि(भवन ऋण ब्याज 2.00 लाख तक) प्रमाणपत्र संलग्न			रू0 .....
15.	अन्य स्रोतों से आय			रू0 .....
16.	जोड़ी जाने वाली अन्य व्यक्ति की आय			रू0 .....
17.	सकल कुल आय (11 से 16) Gross Total Income			रू0 .....
18.	अध्याय 6 ए के अधीन कटौतियॉंः-			
	(क)	धारा 80डीः- मेडीक्लेम प्रीमियम स्वयं/परिवार/ वरिष्ठ नागरिक हेतु अधिकतम रू0 25000/- तक सीमित	रू0	.....
	(ख)	धारा80डी0डी0ः- विकलांग आश्रित पर व्यय कटौती 75,000/- या 1,25,000/- देय है।	रू0	.....
	(ग)	धारा 80DDBः- स्वयं या अपने ऊपर व्यय अधिकतम रू0 40,000/- तक।	रू0	.....
	(घ)	धारा 80Eः- करदाता द्वारा भारत में उच्च शिक्षा हेतु ऋण के ब्याज अदायगी	रू0	.....
	(च)	धारा 80Uः- स्वयं विकलांगता से पीड़ित को अधिकतम रू0 75,000/-, 1.25 लाख की कटौती देय है।	रू0	.....
	(छ)	धारा 80CCD (B1) के तहत NPS मद में 50,000/-रूपये की कटौती देय	रू0	
	(ज)	धारा 80G (केरल बाढ़ राहत)		
19.	योगः- (क से ज तक)		रू0	.....
20.	सकल कुल आय (Total Income) (कॉलम 17-19)		रू0	.....

21.	धारा 80सी0 के अन्तर्गत निवेश/विनियोजन का विवरण (अधिकतम रू0 1.5 लाख):-			
	(ए)	जी0आई0एस0	रू0	
	(बी)	ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0	रू0	
	(सी)	जीवन बीमा प्रीमियम की अदायगी	रू0	
	(डी)	यूलिप अंशदान 1971	रू0	
	(ई)	पी.पी.एफ./सुकन्या समृद्धि योजना (अधिकतम 1,50,000/-)	रू0	
	(एफ)	भवन ऋण क्रय/निर्माण की पुनर्अदायगी(सीमा रहित)	रू0	
	(जी)	राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवाँ निर्गम)	रू0	
	(एच)	राष्ट्रीय बचत पत्रों पर उपार्जित ब्याज	रू0	
	(आई)	नोटीफाइड स्कीम 2011-12 क्लाज 23 डी के अधीन MF (EL SS)		
	(जे)	राष्ट्रीय बचत योजना 1992	रू0	
	(के)	दो बच्चों की ट्यूशन फीस-अंशदान, सीमा रहित (भारतीय संस्थाओं में शिक्षा अर्जन पर देय)	रू0	
	(एल)	पूँजी के पात्र निर्गम बाण्ड (शेयर/डिबेन्चर्स)में अभिदान	रू0	
	(एम)	पेन्शन योजना में अभिदान (80CCC)	रू0	
	(एन)	रिटायरमेन्ट बेनिफिट स्कीम में अंशदान	रू0	
	(ओ)	डाकघर/शेड्यूल बैंक 5 वर्षीय सावधि जमा।	रू0	
	(पी)	राष्ट्रीय नाबार्ड बैंक में अंशदान	रू0	
22.	कुल विनियोजन क्र0-21 का योग अधिकतम रू0 1,50,000/-			रू0 .....
23.	U/S 80TTA (बचत खाते पर ब्याज) अधिकतम 10,000/-			रू0 .....
24.	कुल आय 20-(22+23) (Total Income)			रू0 .....
25.	कुल आय पर आयकर (Tax on Total Income)			रू0 .....
	(i)	रू0 2,50,000/- तक पुरूषों तथा महिलाओं हेतु		रू0 -शून्य-
	(ii)	रू0 2,50,000/ से अधिक रू0 5,00,000 तक-5%		रू0 .....
	(iii)	रू0 5,00,000/- से अधिक रू0 10,00,000/- तक	रू0 12,500/- + उस रकम का 20% जहाँ रू0 5,00,000 से अधिक परन्तु रू0 10,00,000 तक हैं	रू0 .....
	(iv)	रू0 10,00,000 से अधिक	रू0 1,12,500/- + उस रकम का 30% जहाँ रू0 10,00,000 से अधिक है।	रू0 .....
26.	अधिभार सहित आयकर(यदि आय एक करोड़ से अधिक है तो अधिभार 10% देय है)			रू0 .....
27.	सकल देय आयकर (25+26)			
28.	घटाये टैक्स रिबेट U/S 87(A) MAX 2500 If column-24 is less or equal to 3.50 लाख			
29.	शेष सकल देय आयकर (कॉलम 27-28)			
30.	जोड़िए:- शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर, शेष सकल देय आयकर का 04 प्रतिशत (कॉलम 29 का)			रू0 .....
31.	योग (29+30)			रू0 .....
32.	घटाइए : धारा 89(i) के अधीन राहत (Attach Detail)			रू0 .....
33.	घटाइए - वेतन से माह दिसम्बर 2018 तक की गयी आयकर की कुल कटौती			रू0 .....
34.	शेष देय आयकर {31-(32+33)}			रू0 .....
35.	वेतन से मासिक कटौती प्रतिमाह (जनवरी 19 से फरवरी, 19 तक) (Amount required to be deposited each month)			रू0 .....

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि इस आयकर परिकलन ज्ञापक, इसके साथ संलग्न उपबन्धों व कथनों में दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण एवं सत्य है और कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के आयकर के लिए कर प्रभार्य आय के सम्बन्ध में है।

दिनांक :
स्थान :
संलग्नक : 1. आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ।
2. अनुलाभों का मूल्य।

ह0/-
नाम -
पद -
अनुभाग -

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय विवरण

आई0 डी0 नं0 .....

नाम **पदनाम –** .....

अनुभाग का नाम ..... **वेतनमान** .....

वेतन वृद्धि तिथि ..... **पैन नम्बर** .....

स्थायी पता .....**स्थानीय पता**.....

RECIEPT												DEDUCTIONS					
Sl.No.	MONTH	B P	50%DA/ G P	DA Rate	%age DA	F.D.A.	P.P./DE ALL	HRA	CCA	OTHER	TOTGP	I TAX	EPF	VOLEPF	GIS	LIC-SSS	FLOOD RELIEF
1	Mar-18			139%													
2	Apr-18			139%													
3	May-18			142%													
4	Jun-18			142%													
5	Jul-18			142%													
6	Aug-18			142%													
7	Sep-18			142%													
8	Oct-18			142%													
9	Nov-18			148%													
10	Dec-18			148%													
11	Jan-19			148%													
12	Feb-19			148%													
13	Mar-19			148%													
	OTHER SALARY ARR PAID DURING THE YEAR																
	DA JAN 18 TO APR 18			3%													
	BONUS 2016-17																
	DA JUL 18 TO OCT 18			6%													

Date ----------

Place ----------

नोटः– आयकर गणना हेतु अवधि जो लागू हो उसे टिक करें।

	मार्च से फरवरी
	अप्रैल से मार्च

कार्मिक के हस्ताक्षर